(प्रपत्र–30)

कार्य का नामः– जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाड गांव रामा मोटर मार्ग किमी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई–7.750किमी0)

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत प्रस्तावित गुन्दयाड गांव रामा मोटर मार्ग किमी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग निर्माण हेतु कुल 4.5360 है0 आरक्षित वन भूमि एवं सिविल भूमि प्रस्तावित है। जिसमें आरक्षित वन भूमि 4.0320 है0 एवं सिविल भूमि 0.5040 है0 प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0 दिनांक 05/02/2006 के द्वारा सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, आं0एफ0सी0 केबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त उक्त आदेश के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Groups) प्रभावित नहीं हो रही है।

प्रतिहस्ताक्षर
जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड
पी0एम0जी0एस0वाई0
पुरोला

अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिं.ख.
पुरोला (उत्तरकाशी)

जिलाधिकारी
उत्तकाशी

Assistant Engineer
PMGSY ID Purola
Uttarkashi

JE